Report of International Safe Abortion Day: 28th September 2023

Name of the organization: Aakanksha Seva Sadan, Muzaffarpur, Bihar

Advocacy campaign period: 30.09.2023

Brief background of organization

संस्थागत जानकारी - आकांक्षा सेवा सदन 1995 से सामाजिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों के सहयोग से अपने उद्देश्यों में कार्यरत है यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बिहार 1860 (XXI) और एफ.सी.आर.ए. एक्ट 1976 से निबंधित है | संस्था ग्रामीण गरीब महिलाओं, बच्चों, किशोर , किशोरियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समूह , हासिये के समूह के उत्थान / बराबरी व सम्मान-पहचान के लिए कार्य करती है | संस्था वर्तमान में 2010 से महिलाओं के द्वारा प्रबंधित समूह से समुदाय के साथ एक विश्वसनीय प्रभाव से कार्य कर रही है | यह समुदाय आधारित संस्था है | प्रशासन , जिला एवं राज्य स्तर पर भी एडवोकेसी के कार्य में संलग्न है |

संस्था विगत 28 वर्षों से कार्यरत है और कुछ बड़ी संस्थाओं जैसे- क्रिया, समा, पीरामल फाउंडेशन, वर्ल्ड विजन के अलावा जिला स्तर एवं बिहार सरकार के सहयोग से बच्चों , महिलाएं, दलित महिला, महिला पंचायत प्रतिनिधियों, विकलांग महिला, युवा किशोरियों, विद्यालयों के बच्चों के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य प्रजनन, स्वास्थ्य अधिकार, जेंडर समानता, महिला नेतृत्व विकास, युवा एवं विकलांग महिला नेतृत्व विकास तथा राजनैतिक भागीदारी के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, कौशल विकास (महिला) व नारीवाद नजरिया से अन्य जागरूकता का कार्य करती है |

संस्था जिला स्तर पर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर के नेटवर्क का हिस्सा है | अमन नेटवर्क के माध्यम से मिली जानकारी व रिसोर्स, कॉमन हेल्थ नेटवर्क, क्रिया के इब्तिदा नेटवर्क के सहयोग से नारीवाद नजरिया से अपने समूह के सहयोग से बिहार के दो जिला मुजफ्फरपुर एवं वैशाली के लगभग 6 प्रखंड तथा 19 पंचायत में कार्यरत है|

Title of the activity 1: जागरूकता - सुरक्षित गर्भ समापन तक पहुंच हर महिला का अधिकार पर **“जागरूकता एवं MTP Act. संशोधन 2021 पर महिला के अधिकार के लिए चर्चा”**

Date : 30.09.2023

Location and Venue: P.H.C. Marwan

Time: 11 am to 12.15 pm

Participants/stakeholders : 56

Resource Team: 05

Description of the activity: with reflections about participants, questions, discussions etc (Insert pics of activities in between)

- प्रथम सत्र में परिचय एवं मुद्दा पर जानकारी देना |
- MTP Act.1971 एक्ट का संशोधित 2021 पर चर्चा |
- महिला के सुरक्षित गर्भ समापन तक पहुंच उनका अधिकार |

Objectives:

- ए.एन. एम., आशा वर्कर की समझ नारीवाद नजरिया से विकसित करना |
- सुरक्षित गर्भ समापन तक पहुंच महिला, दलित, अल्पसंख्यक, किशोरी को भी मिलना चाहिए |
- PHC स्तर पर सुरक्षित गर्भ समापन के लिए संसाधन/सुबिधा उपलब्ध होना चाहिए |

Outcomes of the activity :

- ए.एन.एम. के द्वारा अल्पव्यस्क / किशोरी से संबंधित सवाल पूछा गया |
- अगर बलात्कार से पीड़ित लड़की है, उसका F.I.R. नहीं है तो क्या गर्भ समापन कर सकते हैं | हम लोग पर भी केस मुकदमा होगा कि नहीं |
- पुलिस को खबर करना पड़ेगा कि नहीं |
- एक विधवा एवं एक अकेली बिना शादी की महिला कैसे गर्भ धारण करेंगी |

हम लोग ने महसूस किया कि उपस्थित प्रतिभागियों में हलचल हो गया है | उन लोगों में बहुत खुल कर तो नहीं, परंतु गर्भ समापन का निर्णय महिला का खुद का निर्णय हो पर अपनी सहमति जताई |

Title of the activity 2: Discussion with case story

Date : 30.09.2023

Locatin and Venue: P.H.C. Marwan

Time: 12.30pm to 02.00pm

Participants/stakeholders : 50

Resource Team: 06

Description of the activity: with reflections about participants, questions, discussions etc. (Insert pics. of activities in between)

समुदाय द्वारा निकले केस स्टोरी के माध्यम से चर्चा किया गया

- **रिसोर्स पर्सन**

अलका कुमारी सिन्हा द्वारा प्रतिभागी का सवाल जैसे-

- ➢ गर्भ समापन कौन कराता है ?
- ➢ गर्भ समापन किन-किन परिस्थिति में करा सकते हैं |
- ➢ गर्भ समापन है क्या ?
- ➢ एम.टी.पी.एक्ट क्या है ? आप लोग क्या समझते हैं |
- ➢ गर्भ समापन सेवा कौन प्रदान कर सकता है ?
- ➢ गर्भ समापन के कौन-कौन से तरीके हैं ?
- ➢ हमारे समुदाय में लोग ज्यादा किस तरीके को गर्भ समापन के लिए इस्तेमाल करते हैं |

❖ प्रतिभागी का जवाब –

- ✓ गर्भ समापन महिला करवा सकती है |
- ✓ गर्भ समापन वह महिला करवा सकती है, जिसे बच्चे नहीं चाहिए |
- ✓ रेप की गई लड़की अगर गर्भवती हो जाती है तो वह भी गर्भ समापन करवा सकती है |

- ✓ गर्भ समापन वह है जो महिला अपने पेट में पल रहे बच्चे को नहीं रखना चाहती है |
- ✓ एम.टी.पी. एक्ट गर्भ समापन के लिए कानून है जिसके तहत महिलाओं को गर्भ समापन करवाने का कानूनी अधिकार प्राप्त होता है |
- ✓ गर्भ समापन सेवा महिला खुद भी ले सकती है और डॉक्टर, नर्स द्वारा भी किया जाता है |
- ✓ गर्भ समापन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे- माला - डी की गोली, अंतरा की गोली, इंजेक्शन, डी. एन. सी. आदि के माध्यम से गर्भ समापन करवा सकते हैं |
- ✓ समुदाय के महिलाएं इसे पाप मानती है | वह चाहती है कि किसी को मालूम ना चले कि हम गर्भवती है, या गर्भ समापन करवा रहे हैं |
- ✓ बहुत सारे मिथक के कारण गांव की महिलाएं चोड़ी- छिपे गर्भ समापन, गोली, इंजेक्शन या फिर जड़ी बूटी द्वारा इसे समाप्त करना चाहती हैं |

❖ रिसोर्स पर्सन-

चांदनी कुमारी द्वारा बताया गया कि गर्भ समापन महिलाएं , लड़कियां , युवा महिला , विवाहित , अविवाहित, पहले से बच्चे हो या नहीं हो, बल्कि अन्य महिला जो की स्वयं की महिला सकती है के द्वारा भी कराया जा सकता है | जैसे- ट्रांसमहिला , इंटरसेक्स अन्य जेंडर पहचान वाले को भी सुरक्षित गर्भ समापन की आवश्यकता पड़ सकती है |

- ➢ गर्भसमापन गर्भावस्था को समाप्त होने या उसके समाप्त करने की क्रिया या प्रक्रिया है |
- ➢ गर्भ समापन को लेकर जो मिथक है, गर्भ समापन कराने से बच्चा को मारा जाता है, तो वह गलत है | वह भ्रूण होता है |

बन्दनाशर्मा- एम.टी.पी एक्ट. के बारे में बताया कि एम.टी.पी. संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार 20 सप्ताह से कम का गर्भकाल गर्भवती व्यक्ति की सहमति से या मानसिक रूप से बीमार महिला का मामला है तो अभिभावक की सहमती आवश्यक है | एक आर.एम.पी. की राय से करवा सकते हैं |

20 से 24 सप्ताह के गर्भकाल में दो आर.एम.पी. की राय आवश्यक है |

24 सप्ताह से अधिक गर्भकाल में गर्भवती व्यक्ति के सहमति से मेडिकल बोर्ड द्वारा गर्भ समापन की जा सकती है | एम.टी.पी. एक्ट के तहत गर्भ समापन किया जा सकता है |
20 सप्ताह के भीतर के गर्भकाल वाली गर्भ को कुछ विशेष परिस्थिति में समाप्त किया जा सकता है | जो एम.टी.पी. अधिनियम के धारा 3 में दिया हुआ है |

1. गर्भवती व्यक्ति के जीवन को खतरा हो तब |
2. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभाव पड़ रहा हो तब |
3. भ्रूण में अगर किसी प्रकार की गंभीर विकलांगता के लक्षण हो तब |
4. गर्भ निरोधक असफल होने पर हुए गर्भधारण के लिए एक महिला गर्भ समापन करवा सकती है |

अलका सिन्हा द्वारा बताया गया कि स्वास्थ्य सेवा एवं सुरक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को होना चाहिए |
सुरक्षित गर्भ समापन की सुविधा पर रोक एक महिला को स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डाल सकती है | इसलिए जरूरी है कि सरकार सुरक्षित गर्भ समापन के लिए ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करें जो महिलाओं को असुरक्षित गर्भ समापन के खतरा से सुरक्षा प्रदान करे |
चयन का अधिकार होना चाहिए | अनचाहा गर्भ महिलाओं को कई तरह से प्रभावित कर सकता है | यह प्रभाव के असर उनके रिश्ते और स्वास्थ्य पर पड़ सकती है | यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी से अनुरोध है कि वह जब भी समुदाय में जाए तो जो समुदाय के लोगों को गर्भ समापन को लेकर जो मिथक है उसे दूर करने का प्रयास करे |
जैसे - गर्भ समापन के बाद

- ✓ बच्चे न होने में दिक्कत |
- ✓ गर्भसमापन बहुत ही कष्टदाई है |
- ✓ यह पाप है |
- ✓ यह करने से हत्या का पाप लगता है आदि |
- ✓ शर्म के कारण बात ना कर पाना

Objectives :- उपस्थित प्रतिभागी का गर्भ समापन के मुद्दों पर जमीनी स्तर से जुड़े युवा, किशोरी, महिला, दलित महिला, विकलांग महिला के प्रति प्रजनन स्वास्थ्य, अधिकार, महिलाओं को अपने शरीर से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार, सुरक्षित रूम हो, गर्भ समापन करवाने का अधिकार को लेकर समझ विकसित करना |

Outcomes of the activity:

समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की गर्भ समापन के मुद्दों / चर्चा पर क्षमता वर्धन हुआ | क्योंकि अभी भी इस मुद्दों पर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर खुलकर बात नहीं किया जाता है | इस अवेयरनेस के बाद ए.एन.एम. और आशा दीदी में सजकता आई और वह भी समझ पाई की इसपर बात करना बहुत ही जरूरी है |
जमीनी स्तर की महिला, किशोरी को सेवा प्रदाता से सुविधा प्रदान करने में सहयोग मिलेगी |

Instructions: Do attach the participant list/photos/media brief if any/bills with the email you send for reimbursement (all in one compressed zip file please)

गर्भ समापन को लेकर समाज में कई मिथक, रूढ़ियों से बचें

भास्कर न्यूज | मड़वन

पीएचसी परिसर में शनिवार को सुरक्षित गर्भ समापन की पहुंच हर महिला का अधिकार पर आकांक्षा सेवा सदन, क्रिया व कॉमन हेल्थ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. नितीश कुमार सिंह ने कहा कि गर्भधारण करने, संतति को जन्म देने, उसे पालने और बड़ा करने में पोषण के विस्तृत आयाम पर तैयारी की जरूरत होती है। इनमें कई स्तर पर मानसिक, शारीरिक व पारिवारिक कारक प्रभाव डालते हैं। परिवार की आर्थिक व सामाजिक दशा से प्रभाव पड़ता है। किसी भी स्तर पर कोई बाधा या परेशानी महसूस होने पर गर्भ के समापन का विकल्प प्रयोग में लेना समझदारी की निशानी है। महिलाओं को किसी भी जबरदस्ती या हिंसा से मुक्त होकर इस संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हेल्थ मैनेजर दिलीप कुमार ने कहा कि जच्चा असंतुलित मानसिक स्थिति या खराब शारीरिक हालात में यदि बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे की कुल क्षमता, शारीरिक और मानसिक योग्यता पर दुष्प्रभाव पड़ने का अंदेशा रहता है। गर्भ समापन को लेकर समाज में कई तरह के मिथक हैं। रूढ़ियों से बचने की जरूरत है। रखना चाहिए। मौके पर डॉ. कुमारी स्वेता, डॉ. नितीश कुमार, अनामिका, बबिता, चांदनी, रेखा, सीमा, नीतू आदि मौजूद थे।

महिलाओं के अधिकार पर की गयी चर्चा

मड़वन. अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मादापुर, मुशहरी की ओर से शुक्रवार को पताही हवाई अड्डा स्थित आकांक्षा सेवा सदन तथा क्रिया के सहयोग से सुरक्षित गर्भ समापन की पहुंच हर महिला का अधिकार पर कार्यक्रम हुआ. इसमें पीएचसी के डॉ सागीर असरफ, राज किशोर ठाकुर, एएनएम, आशा दीदी, सेविका, जीविका दीदी के साथ उन्मुखीकरण बैठक की गयी.

प्रभात खबर

सिटी बाइट्स

प्रजनन स्वास्थ्य पर महिलाओं को निर्णय लेने का हक

मड़वन . पीएचसी के परिसर में शनिवार को सुरक्षित गर्भ समापन का पहुंच हर महिला के अधिकार पर आकांक्षा सेवा सदन, क्रिया व कॉमन हेल्थ के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया.पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नितीश कुमार सिंह ने कहा कि गर्भधारण करने, संतति को जन्म देने उसे पालने और बड़ा करने में पोषण के आयाम पर तैयारी की जरूरत होती है. अल्का कुमारी सिन्हा ने महिलाओं को प्रजनन अधिकारों, उसके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का हक है.संस्था की सचिव वन्दना शर्मा ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया.